


तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या: 29/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
13-5-2025	<p>वकील पक्षकारान उपस्थित। चूंकि मूल निगरानी आवेदन आज निर्णित हो चुका हैं। ऐसी स्थिति में यह स्थगन प्रार्थना पत्र अब प्रभावहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> अति. जिला कलक्टर सिरोही (राज.)</p>	